पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 7212/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 22/08/2009

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त, 2009 को अपरान्ह 3.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो.. बंशीलाल खण्डेलवाल	–	सदस्य
3.	प्रो. विभूति राय	–	सदस्य
4.	प्रो. एस.के. सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
6.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
7.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
8.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
9.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
10.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
11.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
12.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
13.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
14.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में राज्य शासन द्वारा कार्यपरिषद् के नव–मनोनीत विधायक सर्वश्री देवजी भाई पटेल, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, श्री रामजी भारती का पुष्प–गुच्छ से स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :–

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 06.07.2009 एवं आपात बैठक दिनांक 24.07.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करने पर विचार किया गया।

<u>निर्णय</u> : सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिये विभिन्न मदों के लिये स्वीकृत राशि की जानकारी कार्यपरिषद् को दिया जाना अकादमिक प्रशासनिक एवं परीक्षा संबंधी, रिफार्मेशन संबंधी, प्रस्ताव पर विचार किया गया।

निर्णय : 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को विभिन्न मदों में निम्नानुसार अनुदान स्वीकृत किया गया :–

General Development Grant	-	795.00 lacs
Merged Schemes	-	576.50 lacs
Internal Quality Assurance Cell	-	005.00 lacs

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत अनुदान की सूचना ग्रहण की गई।

3. मुख्य परीक्षा 2008–09 के परीक्षा परिणाम की घोषणा संबंधी जानकारी की सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।

निर्णय : मुख्य परीक्षा 2008–09 के परीक्षा परिणाम की घोषणा संबंधी जानकारी की सूचना ग्रहण की गई।

4. प्रो. के.एल. तिवारी, बायोटेक्नालॉजी के कैरियर एड्वांसमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुशंसित वेतनमान निर्धारण प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि प्रो. के.एल. तिवारी, बायोटेक्नालॉजी के कैरियर एडवान्स स्कीम के अंतर्गत अनुशंसित वेतनमान निर्धारण के प्रकरण पर वेतनमान निर्धारण एवं तिथि निर्धारण हेतु 2 सदस्यीय समिति गठित की जाय। समिति में डॉ. प्रदीप चौबे एवं वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय, सदस्य होंगे। समिति अपना रिपोर्ट 15 दिनों के अन्दर कुलपति जी को सौपेंगे।

5. विश्वविद्यालयीन शिक्षक/अधिकारियों (निलम्बित) के विभागीय जाँच प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

निर्णय : विश्वविद्यालय के निलम्बित शिक्षकों, अधिकारियों प्रो. के.एस. पटेल, डॉ. मनीष रॉय एवं डॉ. बी.पी. साहू, जिनके निलम्बन पश्चात् आरोपों के विभागीय जाँच करने, कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्य कुमार तिवारी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जाँच अधिकारी द्वारा विभागीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन कुलसचिव को सौंपा गया था। जाँच प्रतिवेदन का लिफाफा कुलपति जी द्वारा खोला जाकर प्रतिवेदन, प्रशासकीय अभिमत के साथ कार्यपरिषद् की बैठक में रखे जाने का निर्देश दिया गया था। तीनों ही प्रकरण में संबंधित शिक्षक एवं अधिकारी को जाँच अधिकारी द्वारा दोषी पाया गया है। जाँच प्रतिवेदनों को स्वीकारते हुए यह निर्णय लिया गया कि जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संबंधितों को उपलब्ध कराते हुए अंतिम सुनवाई का अवसर देते हुए कार्यपरिषद् के अगली बैठक में प्रकरण प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने के लिए रखा जावे।

6. रसायन अध्ययनशाला के लिये क्रय किये गये उपकरणों का भुगतान सुरक्षित मद से किये जाने की स्वीकृति पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कार्यपरिषद् द्वारा रसायन अध्ययनशाला के लिए क्रय किये गए उपकरणों का सुरक्षित मद से 2.00 लाख रूपये भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. 65 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ Total I.T. Solutions, N.D. को राशि रू. 17,42,512=00 का चंदा अग्रिम भुगतान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि 65 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ राशि रूपये 17,42,512=00 अग्रिम भुगतान किये जाने की वित्तीय एवं प्रशानिक स्वीकृति प्रदान की गई।

8. विनियम क्रमांक 108 के भाग – तीन (वित्तीय अधिकार) में संशोधन पर विचार किया गया।

विनियम क्र. 108– भाग–3 वित्तीय स्वीकृति अधिकार :–

पद	पूर्व प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
वित्त अधिकारी	शुन्य	रू. 5000=00 तक के व्यय भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना एवं समायोजन की स्वीकृति प्रदान करना।
कुलसचिव	रू. 10,000=00 तक की सीमा तक के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।	रू. रू. 25000=00 तक की सीमा तक के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : विनियम क्र. 108– भाग–3 वित्तीय स्वीकृति अधिकार के प्रस्तावित प्रावधान को मान्य किया गया।

9. माइक्रोबायोलॉजी एवं बायोकेमेस्ट्री में एक–एक चतुर्थ वर्ग (प्रयोगशाला परिचालक) पद स्वीकृत के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि माइक्रोबायोलॉजी एवं बायोकेमेस्ट्री विभाग में एक–एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रयोगशाला परिचालक के रूप में स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। ये पद विश्वविद्यालय के नियमित पद से पृथक होंगे।

10. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शैक्षिक अध्ययन शालाओं में विभागाध्यक्ष के पद पर चक्रानुक्रम से नियुक्ति नियम अपनाये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय : विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं के विभागाध्यक्षों के पद पर रोटेशन से नियुक्ति–नियम पर विचार किया गया। आवश्यक संशोधनों के साथ प्रस्ताव, कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

11. शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों पर संविदा पर नियुक्ति संबंधी विनियम पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि राज्य शासन के संविदा नियम 2004 के अनुसार संविदा संबंधी कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय।

12. निम्नलिखित विभागों के इम्प्रेस्ट राशि वृद्धि के प्रकरण पर विचार किया गया –

1.	भूगोल अध्ययनशाला	रू. 5000/– से रू. 10,000/–
2.	दर्शन एवं योग अध्ययनशाला	रू. 1500/– से रू. 5,000/–
3.	गाँधी छात्रावास	रू. 2,000/– से रू. 5,000/–
4.	कुलअनुशासक	रू. 1000/– से रू. 5,000/–
5.	आजाद छात्रावास	रू. 2,000/– से रू. 5,000/–

निर्णय : आगामी बैठक में अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त कर उपयोगिता एवं एकरूपता रखने की दृष्टि से प्रस्ताव रखे जाने का निर्णय लिया गया।

13. फिजियोथेरेपी कॉलेज, बूढ़ापारा, रायपुर के विरूद्ध शिकायत डॉ. शिव कुमार डहरिया, विधायक, कार्यपरिषद् के पत्र क्रमांक MLA/SKD/RPR/RSU/09 दिनांक 25.07.2009 पर विचार किया गया।

निर्णय : फिजियोथेरेपी कॉलेज, बूढ़ापारा के विरूद्ध डॉ. शिव कुमार डहरिया विधायक एवं कार्यपरिषद् सदस्य के पत्र पर विचार कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में डीन, मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज प्रशासन में शिकायतों के आधार पर एक 03 सदस्यीय, जाँच समिति गठित की गई। समिति में प्रो. एस.के. सिंह, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद्, प्रो. विभूति रॉय, एवं डॉ. विनीत जैन सदस्य होंगे। समिति अपना जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर कुलपति जी को सौंपेंगे।

पूरक सूची

1. मुख्य उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ संख्या में वृद्धि किये जाने के संबंध में गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखा जाय।

2. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त अनुदान से परीक्षा विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखा जाय।

3. जैविकी अध्ययनशाला के लिए Biocopture System क्रय करने हेतु रूपये 8,26,959/– रूपये की स्वीकृति पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि जैविकी अध्ययनशाला के लिए Biocopture System क्रय करने हेतु रूपये 8,26,959/– रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. अधिवक्ता श्री मनोज कुमार दुबे को स्टेंडिंग कौंसिल की पैनल में नियुक्त करने पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखा जाय।

5. भू–विज्ञान अध्ययनशाला हेतु इंस्ट्रूमेंट क्रय के लिए 2,12,040/– विकास मद से भुगतान करने हेतु स्वीकृति के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखा जाय।

6. वित्त अधिकारी के स्थान पर वित्त नियंत्रक पद नाम संशोधन का अनुमोदन करने पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि वित्ताधिकारी के स्थान पर *वित्त नियंत्रक* पदनाम को मान्य किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से

1. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा द्वारा दिये गये सुझावों –

   1. जिम को प्रारंभ किया जाय और जिम हेतु नये क्रय की गई सामग्री को स्थापित की जाय,
   2. विश्वविद्यालय के कोटा स्टेडियम का जिर्णोद्धार किया जाय एवं सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाय।
   3. परीक्षा कार्यों से प्रतिबंधित शिक्षकों की सूची जारी किया जाय, आदि सुझावों पर कार्यपरिषद् में विचार कर मान्य किया गया।

2. चार महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति का लिफाफा खोला गया और कार्यपरिषद् द्वारा निम्नानुसार महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	नियुक्त प्राचार्य
1.	रामकृष्ण इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन रायपुर	डॉ. एस.आर. साहू
2.	देव संस्कृति महाविद्यालय, गायत्री शक्तिपीठ भिलाई	डॉ. देवहूति तिवारी
3.	दिशा महाविद्यालय, रायपुर	श्रीमती वंदना शर्मा
4.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्रिश्चियन हॉस्पीटल धमतरी	श्रीमती जे.एस. मसीह

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विश्वविद्यालय की उन्नति एवं प्रगति के संकल्प के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 7213 / अका. / का.प. / 2009 रायपुर, दिनांक : 22 / 08 / 2009

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / वित्ताधिकारी / आन्तरिक अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक कुलसचिव (अका.)